

रात्रि चौपाल कनेरा

Officer Name:- Ravi Jain
Designation: - District Collector

District Name:- Chittorgarh
Contact No: - 01472-240001

Tour/ Night Halt Date: - 10 February 2011, Village :- Kanera

क्र.सं.	प्रार्थी का नाम व पता (दूरभाष सहित)	प्रकरण का विषय	की गई कार्यवाही
१	सरपंच, ग्राम पंचायत कनेरा	पेयजल समस्या के समाधान बाबत्	पूर्व में स्वीकृत योजना की लागत बढ़ने से संशोधित स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को प्रेषित किये गये हैं। स्वीकृति के पश्चात ही प्रताप चौक मोहल्ले में पाईप लाईन जोड़ना संभव होगा।
२	सरपंच, ग्राम पंचायत कनेरा	आबादी भूमि से ईट भट्टा अतिक्रमण हटाने बाबत्।	दिनांक ११.०१.२०११ को सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जारी है।
३	प्रधानाध्यपक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मेघवाल बस्ती कनेरा	विद्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।	नियमानुसार भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव तैयार करा प्रेषित किया गया है।
४	सरपंच, ग्राम पंचायत कनेरा	ग्राम पंचायत का पूर्व की रोकड व रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराने बाबत्।	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ द्वारा पूर्व में जांच दल गठित किया जा चुका है तथा दिनांक १४.०२.११ को रिकार्ड की जांच की गई है। कार्यवाही विचाराधीन है।
५	ग्रामवासी कनेरा	महिला स्नानघर बनाने हेतु	महिला स्नानघर हेतु भूमि का चयन किया जाकर रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है।
६	सत्यनारायण पिता लक्ष्मण दास जी	निर्माण कार्य की स्वीकृति बाबत्	कोरम द्वारा पुर्नविचार कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
७	सरपंच, ग्राम पंचायत सरसी	नहर में पानी छुडवाने बाबत्	सरसी नाका बांध में पानी ६० सेमी रह गया है जो कि नहर लेवल से नीचे है। ग्राम सभा एवं विधायक महोदय की मौजूदगी में सर्व सम्मति से पानी नहीं छोडे जाने का निर्णय हुआ है।
८	सरपंच, ग्राम पंचायत सरसी	पटवार भवन निर्माण बाबत्	जन सहयोग से बनवाया जावेगा।
९	ग्रामवासी कनेरा	पूर्व सरपंच, गोपाल धाकड़ द्वारा राशि गबन के सम्बन्ध में।	दिनांक ११.०२.११ को सम्बन्धित को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।
१०	ग्रामवसी कनेरा	पूर्व सरपंच गोपाल धाकड़ द्वारा भूमि घोटाले के संबंध में	सीमा जानकारी करवा दी गई है एवं सम्बन्धित को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है।
११	ग्रामवासी कनेरा	भूमि आवंटन निरस्त कराने बाबत्	प्रस्ताव तैयार कर दिया गया है। कोरम में अनुमोदन के पश्चात उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जावेगा।

१२	ग्रामवासी कनेरा परगना	रेण का नाका बांध प्रारम्भ करवाने बाबत्	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई से रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है।
१३	प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कनेरा	खेल मैदान से अतिक्रमण हटवाने बाबत्	सीमा जानकारी करवा दी गई है एवं सम्बन्धित को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है।
१४	देवीलाल पिता भोलीराम धाकड़, निवासी कनेरा	रास्ता खुलवाने बाबत्	प्रकरण माननीय सिविल न्यायाधीश में विचाराधीन हैं। निर्णय होने पर ही तदनुसार कार्यवाही संभव होगी।
१५	ग्रामवासी कनेरा घाटा क्षेत्र	चोरी की घटनाओं पर अंकुश बाबत्	थानाधिकारी को बीट व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया। गांव वालों को पुलिस से सहयोग हेतु कहा गया।
१६	सरपंच, ग्राम पंचायत निम्बोदा	पटवार भवन निर्माण हेतु	जन सहयोग से बनवाया जावेगा।
१७	समस्त ग्रामवासी, कनेरा	शीतला माता मन्दिर के रास्ते का दुरूस्तीकरण	ग्राम पंचायत द्वारा रास्ते की गन्दगी को हटवा दिया गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जारी है।
१८	ग्राम पंचायत कनेरा वार्ड सं. ३, ४, ५ के वासी	नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु	संशोधित तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही लाईन से जोड़ा जाकर नल कनेक्शन प्रदान किये जा सकेंगे।
१९	समस्त नागरिक परगना कनेरा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कनेरा में महिला चिकित्सक की नियुक्ति बाबत्	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ५ पद स्वीकृत हैं जिनके विरुद्ध सिर्फ १ डॉ. नियुक्त है। ब्लॉक सीएम एण्ड एचओ द्वारा उच्चाधिकारियों को लिखा गया।
२०	भैरूलाल पिता नन्दलाल तेली, निवासी कनेरा	जमीन से कब्जा हटाने बाबत्	प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में दावा कर सहायता प्राप्त करने हेतु सलाह दी गई।
२१	ईस्लाम पिता चांद मोहम्मद, कनेरा	बीपीएल में चयनित करने बाबत्	सर्वे में प्रार्थी अपात्र पाया गया। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया।
२२	दुकानदार, दीनदयाल उपाध्याय कॉम्प्लेक्स, बस स्टेण्ड, कनेरा	अतिक्रमण हटाने बाबत्	मौके से अतिक्रमण हटा दिया गया है।
२३	देवीलाल पिता भगवान धाकड़, ग्राम कोचवा, मो.९४६२७८१०२२	जन्म प्रमाण पत्र बाबत्	प्रमाण पत्र बना दिया गया है।
२४	पवन कुमार वैष्णव पिता बद्रीदास, ग्राम कनेरा	जन्म प्रमाण पत्र बाबत्	प्रमाण पत्र बना दिया गया है।
२५	यशवन्त कुमार पिता भंवरलाल चारण, निवासी कनेरा, मो. ९४१३८०६५९९	आवंटित भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज करने बाबत्	आवंटन दिनांक २३.११.७७ में होना बताया परन्तु कोई आवंटन नहीं हुआ है। ९४,९५,९६ में धारा ९१ कि कार्यवाही हुई। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में कब्जे के आधार पर पुनः आवंटन हेतु निर्देश दिये।

२६	गरीब नवाज अंजुमन कमेटी, कनेरा	कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन	प्रशासन गांव के संग अभियान-२०१० के दौरान प्राप्त प्रस्ताव पर कार्यवाही जारी है।
२७	मोहल्लेवासी खेमपुरा, कनेरा	नल पाईपलाईन बदलवाने बाबत्	विभागीय कर्मचारी के निवास करने एवं बिल कलेक्शन के उपयोग में आ रहा है इसलिए दिया जाना संभव नहीं है।
२८	बदरूद्दीन पिता अलादीन, निवासी कनेरा	पट्टा दिलवाने बाबत्	प्रार्थी की पत्रावली दर्ज की जाकर नियमानुसार कार्यवाही विचाराधीन है।
२९	किशनलाल पिता प्यारचन्द तेली, निवासी कनेरा, मो. ९३५२५१९३७३	वृद्धावस्था पेन्शन दिलाने बाबत्	प्रार्थी अपात्र होने से बीपीएल में चयन नहीं हो सकता है इसलिए पेन्शन दिया जाना संभव नहीं है।
३०	स्नेहलता पत्नी जगदीश व्यास, निवासी कनेरा	घर का पट्टा दिलवाने बाबत्	पट्टा जारी करवाया गया।
३१	सुरेन्द्र कुमार पिता पन्नालाल बोहरा, निवासी कनेरा	क्षतिग्रस्त पेयजल टंकी हटवाने बाबत्	कार्यवाही विचाराधीन है।
३२	नारायण पिता चुन्नीलाल अहीर, निवासी मैलाना	ईन्तकाल खुलवाने बाबत्	माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ़ द्वारा सन् २००४ से स्थगन आदेश है। न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी।
३३	मंजु बाई पुत्री श्री लाभचन्द धाकड़, निवासी कनेरा	बगैर विवाह सम्बन्ध विच्छेद किए दूसरा विवाह करने बाबत्	दफा ९८ में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।
३४	प्रधानाध्यापक, राउप्रावि ज्ञान ज्योति कनेरा, मो.९४६०९३५३९०	विद्यालय भवन हेतु भूमि आवंटन बाबत्	प्राइवेट संस्था को भूमि आवंटन का कोई नियम नहीं है। प्रार्थी संस्थान को अवगत कराया गया।
३५	सरपंच, ग्राम पंचायत मैलाना	विकास कार्यों की स्वीकृति बाबत्	विकास अधिकारी को निर्देश दिये गये कि नरेगा में भराव कार्य श्रम सामग्री से कराया जावे।
३६	नरेन्द्र कुमार पिता लख्मीचन्द गर्ग, कनेरा	अवैध निर्माण करने बाबत्	दिनांक ११.०२.२०११ को जांच में निर्माण विधि सम्मत पाया गया। कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
३७	उंकारलाल पिता बद्रीलाल खटीक, निवासी कनेरा	पंचायत द्वारा अवैध रूप से जमीन विक्रय रूकवाने बाबत्	सरपंच ने अवगत कराया की भूमि विक्रय नहीं की जा रही है।
३८	प्रकाशचन्द पिता कालूराम अहीर, निवासी मैलाना	पीएमआरवाय की फाईल बैंक से सैंक्शन करवाने बाबत्	शाखा प्रबन्धक की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी डिफाल्टर है। लोन दिया जाना उचित नहीं है।
३९	कैलाश चन्द्र पिता मदनलाल चमार, निवासी कनेरा	बीपीएल में चयनित करवाने बाबत्	सर्वे में प्रार्थी अपात्र पाया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया।

४०	शोभालाल, कोमल एवं समस्त गाडी लोहार परिवार, कनेरा	पट्टे दिलवाने बाबत्	ग्राम पंचायत को दिनांक ११.०२.२०११ को आबादी का सीमांकन कराया गया। पंचायत द्वारा कब्जा हटाने की कार्यवाही के लिए संबंधित को नोटिस जारी किये गये हैं।
४१	समस्त कनेरा घाटा क्षेत्र निवासी	नील गाय के नियंत्रण बाबत्	डीएफओ और पशुपालन विभाग को निर्देश दिये गये कि जनसहयोग से टीम गठित कर नर नील गाय का बन्ध्याकरण किया जावे।
४२	श्यामलाल पिता गोवर्धन लाल धाकड़, निवासी कनेरा, मो. ९४६०४३६९७५	पट्टा चाहने बाबत्	प्रार्थी की पत्रावली दर्ज की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
४३	पारसमल पिता भंवरलाल जैन, निवासी कनेरा	मुख्य मार्ग पर गन्दी के क्रम में।	मौके से गन्दगी हटवा दी गई है तथा आगे नियमित सफाई ग्राम पंचायत द्वारा करवाई जावेगी।
४४	भंवरलाल, जगन्नाथ गाडिया लौहार, ग्राम कनेरा	पट्टे दिलवाने बाबत्	अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही चल रही है। अतिक्रमण हटाने के उपरान्त पट्टे की कार्यवाही की जावेगी।
४५	समस्त ग्रामवासी कनेरा	कनेरा-चित्तौडगढ़ रोड़वेज बस चलाने बाबत्	डिपो मैनेजर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम चित्तौडगढ़ को उचित कार्यवाही हेतु लिखा गया।
४६	समस्त बैरागी समाज, कनेरा	वैषणव समाज सराए हेतु भूखण्ड आवंटन बाबत्	किसी समाज के नाम से भूखण्ड आवंटन का प्रावधान नहीं है। प्रार्थीगण को अवगत कराया गया।
४७	संगीता पिता रामनिवास मेघवाल, निवासी कनेरा	दहेज मांगने के क्रम में।	धारा ४९८ में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होकर निर्णयानुसार कार्यवाही होगी।
४८	रामनिवास पिता दूदा मेघवाल, निवासी कनेरा	पट्टेशुदा प्लाट से कब्जा हटवाने बाबत्	सम्बन्धित व्यक्तियों को स्वामित्व सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया है। जवाब प्रस्तुत करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
४९	कैलाश गिरी पिता शिवदत्त गिरी, निवासी कनेरा	जमीन व पट्टा दिलाने बाबत्	अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही चल रही है। अतिक्रमण हटाने के उपरान्त पट्टे की कार्यवाही की जावेगी।
५०	समस्त ग्रामवासी, ग्राम पंचायत कनेरा	व्यायामशाला हेतु भूमि आवंटन बाबत्	पृथक से भूमि आवंटन के प्रावधान नहीं है।
५१	समस्त ग्रामवासी, ग्राम पंचायत कनेरा	विद्या भारती के विद्यालय हेतु भूमि आवंटन बाबत्	किसी निजी संस्थान के नाम से भूखण्ड आवंटन का प्रावधान नहीं है। प्रार्थीगण को अवगत कराया गया।
५२	समस्त ग्रामवास, ग्राम कनेरा	गायत्री शक्तिपीठ मन्दिर निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्	किसी धार्मिक संस्थान के नाम से भूखण्ड आवंटन का प्रावधान नहीं है। प्रार्थीगण को अवगत कराया गया।
५३	सरपंच, ग्राम पंचायत कनेरा	पूर्व थाना भवन को ग्राम पंचायत	थानाधिकारी ने अपना मालखाना इस भवन में होना व्यक्त किया

		को हस्तान्तरित करने बाबत्	है। अतः भवन दिया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी को अवगत कराया गया।
५४	सरपंग, ग्राम पंचायत कनेरा	पूर्व ग्राम पंचायत के कार्यकाल के पट्टे निरस्त करवाने बाबत्	प्रस्ताव तैयार किये जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
५५	सरपंच, ग्राम पंचायत, कनेरा	जलदाय विभाग के पुराने भवन को पंचायत को हस्तान्तरित करवाने बाबत्	अधिकांश अभियन्ता, जलदाय विभाग के अनुसार पुराने भवन में स्टाफ निवास करता है तथा बिलों की राशि के कलेक्शन का कार्य किया जाता है। अतः भवन दिया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी को अवगत कराया गया।
५६	सुरेश चन्द्र पिता मोहनलाल मालवी, निवासी कनेरा	बांध में गई जमीन का उचित मुआवजा दिलवाने बाबत्	आवेदक को सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु सलाह दी गई।
५७	श्रीमती गीता बाई पत्नी जगदीश, जिला परिषद सदस्या	माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण हेतु बजट आवंटन बाबत्	बजट आवंटन हो चुका है।
५८	श्रीमती गीता बाई पत्नी जगदीश, जिला परिषद सदस्या	माध्यमिक विद्यालय में स्टाफ लगाने बाबत्	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को लिखा गया है।
५९	श्रीमती गीता बाई पत्नी जगदीश, जिला परिषद सदस्या	सम्पर्क मार्ग हेतु श्रीनगर-जाट मार्ग मध्य प्रदेश सीमा तक	अधिकांश अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।
६०	श्रीमती गीता बाई पत्नी जगदीश, जिला परिषद सदस्या	बस स्टेण्ड कनेरा से मैलाना, सरसी चौराहा तक सम्पर्क सड़क बनाने हेतु	अधिकांश अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।
६१	श्रीमती गीता बाई पत्नी जगदीश, जिला परिषद सदस्या	राज्य परिवहन की बस चलाने बाबत्	डिपो मैनेजर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, चित्तौड़गढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया।
६२	श्रीमती गीता बाई पत्नी जगदीश, जिला परिषद सदस्या	उच्च जलाशय पाईपलाईन जल वितरण हेतु	निर्धारित आबादी मानदण्ड पुरे नहीं होने से बनाया जाना संभव नहीं है।
६३	समस्त ग्रामवासी कनेरा	प्रतिक्षालय के बाहर अतिक्रमण हटवाने बाबत्	अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जारी है।
६४	समस्त सुथार समाज, कनेरा	सामाजिक कार्य हेतु भूखण्ड आवंटन बाबत्	व्यक्तिगत भूखण्ड आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। प्रार्थीगण को अवगत कराया गया।
६५	समस्त ग्रामवासी अनोपपुरा, ग्राम पंचायत बडावली	राजीव गांधी पाठशाला भवन के बाउण्ड्री निर्माण बाबत्	खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी, सर्व शिक्षा अभियान को आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश दिये गये।

६६	ग्रामवासी कनेरा	चिकित्सालय कनेरा में प्रभारी चिकित्सक द्वारा अभद्र व्यवहार के क्रम में।	ब्लॉक सीएमएचओ को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये। रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है।
६७	ग्रामवासी कनेरा	आबादी के बीच से शौचालय हटवाने व सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाने बाबत्।	३० प्रतिशत धनराशि पंचायत द्वारा तथा शेष जन सहभागिता द्वारा ली जाकर सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत कार्यवाही की जावेगी।
६८	कैलाश पिता मदन चमार, निवासी कनेरा	मृत पशुओं को डालने हेतु भूमि आवंटन बाबत्।	पूर्व में १ बीघा भूमि का आवंटन हो चुका है।
६९	राधेश्याम पिता लख्मीचन्द अचारज, निवासी कनेरा	क्रय की गई जमीन की रजिस्ट्री करवाने बाबत्।	प्रार्थी को सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर नियमानुसार रजिस्ट्री कराने की जानकारी दी गई।
७०	समस्त क्षेत्रवासी ग्राम तुम्बपुरिया	रोड़ बनवाने बाबत्	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
७१	मो० अनिस पिता ताज मोहम्मद, निवासी कनेरा	रोड़ में गई जमीन के बदले जमीन दिलवाने बाबत्	राज.ले.रे.एक्ट की धारा ९८ के तहत आवंटित बाड़ों को सरकार जनहित में बिना कोई मुआवजा दिये अवाप्त कर सकती है। प्रार्थी को अस्थाई रूप से बाड़ा आवंटित था, अतः प्रार्थी को मुआवजा दिया जाना विधी संगत नहीं है।
७२	समस्त ग्रामवासी कनेरा	नल के खड्डे बन्द करने बाबत्	ग्रामीण जल योजना कनेरा की संशोधित स्वीकृति के पश्चात बड़ी साईज की पाईप लाईन डालने से पाईप लाईन में दबाव बढ़ने से खड्डे बन्द करने की कार्यवाही संभव होगी।
७३	पूरणमल पिता मांगीलाल निवासी बांगेडाघाटा, मो. नं. ९४१३८०२९७९	जबरन अवैध कब्जा करने के संबंध में।	पारीवारिक झगड़े का प्रकरण है। प्रार्थीगण को वांछित सहायता हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु जानकारी दी गई।
७४	समस्त ग्रामवासी ग्राम भुवानियाखेड़ी, ग्राम पंचायत बांगेडा घाटा	विद्यालय खेल मैदान की भूमि की सीमा जानकारी व कब्जा दिलाने बाबत्।	सीमा जानकारी करा दी गई है। खेल मैदान पर अतिक्रमण नहीं है।
७५	मांगीलाल पिता उंकारलाल धाकड़, निवासी कनेरा	कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत्।	थानाधिकारी ने अवगत कराया की थाना कनेरा में कार्यवाही जारी है।
७६	शिवलाल पिता भंवरलाल सेन, निवासी कनेरा	रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड आवंटन बाबत्।	पत्रावली दर्ज की जाकर नियमानुसार कार्यवाही विचाराधीन है।
७७	कैलाश चन्द्र बैरागी, कनेरा	खातेदारी करने बाबत्	प्रार्थी के नाम ग्राम कनेरा में खातेदारी योग्य प्रकरण नहीं होकर गत प्रशासन गांव के संग अभियान में ग्राम भुवानिया खेड़ी में प्रार्थी को

			खातेदारी हक दिये जा चुके हैं।
७८	गमेर पिता नानू भील, निवासी पटियार, ग्राम पंचायत कनेरा	लॉन फाईल जांच कराने के क्रम में।	चित्तौडगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक, शाखा निम्बाहेड़ा को लिखा गया। कार्यवाही विचाराधीन है।
७९	मोहनलाल पिता भगवान रेगर, ग्राम पंचायत बांगेड़ा घाटा	जारी पट्टा निरस्त कर दूसरों को आवंटित करने के क्रम में।	प्रार्थी ने स्वयं के नाम पूर्व में जारी पट्टा स्वेच्छा से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी से निरस्त करवाया है। वर्तमान में ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी व्यक्ति को उक्त भूमि आवंटित नहीं की गई है।
८०	श्रीमती हुड़ी बाई पत्नी राधाकिशन मेघवाल, निवासी कनेरा	विधवा पेन्शन व बीपीएल में चयन बाबत्।	प्रार्थीया स्टेट बीपीएल में है। पेन्शन कि कार्यवाही विचाराधीन है।
८१	समस्त मेघवाल समाज, निवासी कनेरा	मेघवाल समाज की धर्मशाला हेतु भूमि आवंटन बाबत्	समाज विशेष को भूमि आवंटन के प्रावधान नहीं है। प्रार्थी समाज को अवगत कराया गया।
८२	श्रीमती बसन्ती बाई पत्नी किशनलाल तेली, निवासी कनेरा	बीपीएल में चयन करने बाबत्।	प्रार्थीया बीपीएल सर्वे में अपात्र पाई गई। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया।
८३	सोना गोस्वामी पुत्री कन्हैयालाल गोस्वामी, निवासी कनेरा	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चयन हेतु	प्रार्थीया द्वारा परित्यक्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने से चयन नहीं हो सका। प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
८४	सरपंच, ग्राम पंचायत बांगेड़ा घाटा	पटवार भवन निर्माण बाबत्	जन सहयोग से बनवाया जाना प्रस्तावित हुआ।
८५	सरपंच, ग्राम पंचायत बांगेड़ा घाटा	कनेरा से भुवानिया खेड़ी तक रास्ता नियमन करने बाबत्	खातेदार उक्त रास्ते के बदले भू-आवंटन चाहता है। राज.का.अधि की धारा ४८ के तहत एक्सचेंज के निर्देश दिये गये थे। वक्त भू आवंटन भूमि का सर्म्पण करवाकर उक्त भूमि के बदले आवंटन की कार्यवाही की जावेगी।
८६	शम्भुलाल, रामलाल, लक्ष्मण गायरी, मगनीराम भील, अम्बालाल धाकड़, निवासी कनेरा	कुए पर जाने का रास्ता खुलवाने बाबत्	रास्ता खातेदारी आराजी में होने से माननीय सिविल न्यायालय में वाद दायर कर सहायता प्राप्त करने हेतु जानकारी दी गई।
८७	समस्त जनता, कनेरा घाटा	चरनोट से बिलानाम जमीन करने हेतु।	यह प्रकरण राज्य सरकार के नितीगत है। प्रार्थना पत्र अग्रेषित किया गया।
८८	सरपंच, ग्राम पंचायत मैलाना, कनेरा, बांगेड़ा घाटा, सरसी, निम्बोदा	नरेगा योजनान्तर्गत ग्रेवल सड़क ग्राम पंचायत द्वारा बनवाने बाबत्।	मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।

८९	समस्त ग्रामवासी	राजस्थान से मिट्टी व पत्थर चरनोट बिलानाम व वन विभाग से मध्य प्रदेश चोरी से जा रहा है।	जिला वन अधिकारी एवं सहायक खनि अभियन्ता को जांच कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये। भविष्य में किसी प्रकार की चोरी को रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
----	-----------------	---	--